आदेश
10.2.2026

2026/59

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

सीता आदि बनाम कृष्णलाल आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 14 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
30.01. 2026	प्रार्थीगण सीता आदि की तरफ से वकील श्री रोहिताश नाई ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक नम्बर 4 डी.डब्ल्यु.डी. के खाता संख्या 3/54 के पत्थर नम्बर 13/19(3) किला नम्बर 18, 23/2, पत्थर नम्बर 13/20(7) किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 23 इस प्रकार कुल 1.7460 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि व चक नम्बर 1 डी.डब्ल्यु.एस.एम. के खाता संख्या 56/38 के पत्थर नम्बर 12/31(19) किला नम्बर 6, पत्थर नम्बर 12/39(20) किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 19, पत्थर नम्बर 12/46(16) किला नम्बर 19/3, 20/2, 21/1, 22/2, पत्थर नम्बर 12/47(21) किला नम्बर 1/1, 10/1, पत्थर नम्बर 12/53(10) किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 12/54(15) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 19, पत्थर नम्बर 12/60(7) किला नम्बर 16/1, 16/2, 17 ता 19, पत्थर नम्बर 12/62(14) किला नम्बर 1/2, 2, 9, 10/1 इस प्रकार कुल 8.3190 हैक्टेयर भूमि की अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 05.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
10.2.2026	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र [illegible] पेशी पेश करके पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र आगे [illegible] स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	Muskan [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.02.27 11:46:09 IST
Reason: SelfAttested